

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 172/2019

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गजेसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति
राजपूत निवासी सरली तहसील
व जिला बाड़मेर।

1 भोजराजसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत
निवासी सरली तहसील व जिला बाड़मेर 2
तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री डुंगरसिंह राठौड़, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 1.8.2021.....

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 124/2014 अनवान गजेसिंह बनाम भोजराजसिंह वगैराह में दिनांक 27.05.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाड़मेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।


तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक दिनांक 13.06.2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा लोगों की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर में स्थित खसरा नम्बर 368 रकबा 122.08 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	गजेसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	368	61.04	बा.सो.	03.06	हरा
2	भोजराजसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन जेटीजीबी शाखा सनावड़ा	368	61.04	बा.सो.	03.06	पीला

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 1.8.2021 को सरें इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाडमेर
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

वादी
1. गजेसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत
निवासी सरली तहसील व जिला बाडमेर।

अनवान
बनाम

प्रतिवादीगण
1 भोजराजसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति
राजपूत निवासी सरली तहसील व जिला
बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 88, 53 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :- 172/2019
निर्णय दिनांक :- 18/02/21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/02/21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा लोगों की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा नम्बर 368 रकबा 122.08 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	वरंग
1	गजेसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	368	61.04	बा.सो.	03.06	हरा
2	भोजराजसिंह पुत्र जावंतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन जेटीजीबी शाखा सनावड़ा	368	61.04	बा.सो.	03.06	पीला

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 18/02/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा



लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पत्र प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल	जोड़		जोड़